

अपील संख्या 223/2025 बउनवान भंवराराम, वगैरह बनाम टीलाराम वगैरह
अपील संख्या 224/2025 बउनवान भंवराराम वगैरह बनाम टीलाराम वगैरह

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी— श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 223 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

1. भंवराराम पुत्र मंगलाराम, उम्र 40 वर्ष	1. टीलाराम पुत्र किस्तुराराम, उम्र 40 वर्ष,
2. सताराम पुत्र मंगलाराम, उम्र 35 वर्ष, जाति भील, निवासी मांगता, पटवार हल्का मांगता, भू-अभिलेख निरीक्षक दूधू, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।	जाति भील, निवासी बूल हाल निवासी मांगता, तह. धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
	2. बाबूलाल पुत्र उत्तमाराम, उम्र 55 वर्ष, जाति भील, निवासी कातरला, तह. धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
	3. खेताराम पुत्र महेन्द्राराम, उम्र 45 वर्ष
	4. चेतनराम पुत्र महेन्द्राराम, उम्र 40 वर्ष, जाति भील निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
	5. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा
राजस्व वाद संख्या 03/2023 (GCMS NO.- 2023/04) बउनवान
टीलाराम बनाम खेताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री
दिनांक 15.07.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

और

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 224 / 2025 / बाड़मेर

अपीलांत

रेस्पोडेंटगण

1. भंवराराम पुत्र मंगलाराम, उम्र 40 वर्ष	1. टीलाराम पुत्र किस्तुराराम, उम्र 40 वर्ष,
2. सताराम पुत्र मंगलाराम, उम्र 35 वर्ष, जाति भील, निवासी मांगता, पटवार हल्का मांगता, भू-अभिलेख निरीक्षक दूधू, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।	जाति भील, निवासी बूल हाल निवासी मांगता, तह. धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
	2. बाबूलाल पुत्र उत्तमाराम, उम्र 55 वर्ष, जाति भील, निवासी कातरला, तह. धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर
	3. खेताराम पुत्र महेन्द्राराम, उम्र 45 वर्ष
	4. चेतनराम पुत्र महेन्द्राराम, उम्र 40 वर्ष, जाति भील निवासी मांगता, तहसील धोरीमन्ना, जिला बाड़मेर।
	5. तहसीलदार, धोरीमन्ना।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील संख्या 223/2025 बउनवान मंवराराम वगैरह बनाम टीलाराम वगैरह
अपील संख्या 224/2025 बउनवान मंवराराम वगैरह बनाम टीलाराम वगैरह

राजस्व वाद संख्या 03/2023 (GCMS NO.- 2023/04) बउनवान
टीलाराम बनाम खेताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री
दिनांक 28.08.2025 के विरुद्ध पेश हुई।

उपस्थिति:-

1. वकील श्री देवाराम चौधरी अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री बलवंतसिंह चौधरी उतरदाता संख्या 1 की ओर से।
3. वकील श्री ओमप्रकाश विश्णोई उतरदाता संख्या 2 की ओर से।
4. वकील श्री कैलाश एन सारण उतरदाता संख्या 3 व 4 की ओर से।
5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पों. संख्या 5 की ओर से।

—:निर्णय:—

दिनांक:-15.09.2025

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2023 (GCMS NO.- 2023/04) बउनवान टीलाराम बनाम खेताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2025 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.08.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। दोनों अपीलों की विषय-वस्तु, प्रकृति एवं पक्षकारान् एवं कानूनी बिंदु समान होने से एक ही निर्णय में निस्तारित की जा रही है। प्रत्येक अपील में अलग-अलग मूल निर्णय की प्रति रखी जावे।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम मांगता के खसरा संख्या 61 रकबा 152-15 बीघा आराजी आयी हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोंडेन्ट व अपीलाण्ट्स/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमें पक्षकारान का बहिस्सा बराबर-बराबर कब्जा काश्त चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकार्ड अलग-अलग हिस्से खुले हुए हैं परन्तु अभी तक विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है। जिस कारण पक्षकारान के मध्य कब्जे काश्त को लेकर विवाद रहता है, इसलिए रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/वादी अपने हिस्से की भूमि का मौके पर कब्जा-काश्त के अनुसार बंटवारा करवाना चाहते हैं, जिस हेतु अपीलाधीन वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर दिये ही एकतरफा प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए एकतरफा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अंतिम डिक्री जारी कर दी। जो विधि संगत नहीं है। जिससे अपीलांट के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, जिससे व्यथित होकर हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि ग्राम मांगता

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

के खसरा संख्या 61 रकबा 152-15 बीघा आराजी आयी हुई है। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी में वादीगण/रेस्पोंडेन्ट व अपीलांट्स/प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक प्रतिवादी संख्या 2 से 3 के खिलाफ बिना विधिक तामील के ही एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए बिना साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही दिनांक 03.12.2024 को मृत व्यक्ति के विरुद्ध एकरफा प्राथमिक डिक्री व निर्णय पारित कर दिया गया। जिस पर रेस्पों. संख्या 2 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना-पत्र आदेश 1 नियम 10 व आदेश 9 नियम 7 व 13 सपठित धारा 151 सीपीसी का वास्ते पक्षकार बनाने एवं मृत व्यक्ति के विरुद्ध जारी एकरफा डिक्री को मनसूख करने का प्रार्थना-पत्र पेश किया गया, जिसे एकतरफा स्वीकार किया जाकर विवादित प्राथमिक डिक्री को रिव्यू करते हुए पुनः दिनांक 15.07.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब कर लिये। उक्त समस्त कार्यवाही में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नवीन पक्षकार अपीलांट को बिना तामील करवाये ही बिना कोई साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये ही एकतरफा प्राथमिक डिक्री एवं निर्णय पारित किया गया है जो विधि संगत नहीं है। उक्त विधि विरुद्ध पारित प्राथमिक डिक्री के आधार पर विभाजन प्रस्ताव तलब करते हुए दिनांक 20.08.2025 को अंतिम निर्णय एवं डिक्री जारी कर दिये गये, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत हैं। हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का बिना विधिक बंटवारे के ही बेचान किया गया है। वादग्रस्त आराजी का हिस्सा व दस्तावेज सही नहीं होने के कारण रेस्पों. संख्या 1 व 2 का रकबा 23-00 बीघा बंट आती है जबकि वर्तमान में रकबा 24.04 बीघा भूमि बंट में रकबा 1-04 बीघा अधिक दे दी गयी है। जिस अनुसार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधि संगत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। प्रश्नगत विभाजन प्रस्ताव द्वारा सभी पक्षकारान को मुख्य सड़क पर बराबर हिस्सा नहीं दिया गया है जो विवाद का मुख्य बिन्दु हैं। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार द्वारा अपीलांट को बिना कोई नोटिस या सूचना दिये ही अपीलांट को साक्ष्य या सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा मौका रिपोर्ट तैयार की जो माननीय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 के सुस्थापित सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट्स के कब्जा-काश्त, उपयोग-उपभोग का गलत तरीके से मौके की वस्तुस्थिति के विपरीत जाकर मौका प्रस्ताव तैयार किया गया है। जो विधि विरुद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण/अपीलांट की गलत तरीके से तामील बताते हुए एकतरफा कार्यवाही प्रस्तावित करते हुए इनके वारिसानों के हकों के विपरीत जाकर अंतिम निर्णय पारित किया है जो विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों से परे है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट/प्रतिवादी को जबाबदावा प्रस्तुत करने, साक्ष्य पेश करने एवं जिरह करने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है। जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि सभी पक्षकारों को सुनकर, साक्ष्य सबूत देने का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जाना चाहिए, किन्तु अपीलाधीन निर्णय में उक्त समस्त तथ्यों का अभाव पाया गया है। जिससे अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। इस प्रकार अपीलांट न तो स्वयं और न ही वकालतन अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित था। बिना साक्ष्य लिये व बिना तनकीयात कायम किये ही अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई तथ्यों की जांच किये तथा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

बिना प्रतिवादी (अपीलांट) को सूचना प्रदान किये विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से परे जाकर विधि विरुद्ध अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। साथ ही वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण की समस्त आदेशिकाओं के अवलोकन मात्र से ही स्पष्ट है कि वाद कार्यवाही नियमित रूप से संचालित नहीं की गई। तथा प्रतिवादी (अपीलांट) को बिना सूचना प्रदान किये ही आनन-फानन में ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेकार्डेड खातेदार अपीलांट के हितों पर भारी कुठाराघात किया है। अपीलांट वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है तथा एक रेकार्डेड खातेदार को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही उसके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई जो विधि से सुस्थापित सिद्धान्तों के खिलाफ है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार अपीलांट जो कि वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि एवं विधिक प्रक्रिया को अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री को खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोजेन्ट द्वारा बहस करते हुए वकील अपीलांट के कथनों का समर्थन किया गया एवं निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण को पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का आदेश प्रदान करावे एवं प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत निस्तारण करने का आदेश प्रदान करावे।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही एकतरफा आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को साक्ष्य संबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी को सूचित करते और सूचित करने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय माननीय मण्डल के नियम 18 से 21 अनुसार By Metes & Bounds सिद्धान्त के आधार पर पारित नहीं किया गया है। सहखातेदारों के मध्य विभाजन अपने-अपने हिस्से एवं कब्जे-काशत अनुसार बराबर-बराबर किया गया जाना आवश्यक था, किन्तु अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में उक्त समस्त तथ्यों


(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील संख्या 223/2025 बउनवान भंवराराम वगैरह बनाम टीलाराम वगैरह
अपील संख्या 224/2025 बउनवान भंवराराम वगैरह बनाम टीलाराम वगैरह


का अभाव प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया।

अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांतगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 53, 92ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु अपीलांतगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांत आंशिक स्वीकार की जाकर सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना द्वारा राजस्व वाद संख्या 03/2023 (GCMS NO.-2023/04) बउनवान टीलाराम बनाम खेताराम वगैरह में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 15.07.2025 एवं निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 28.08.2025 विधि विरुद्ध पाये जाने से अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांतस को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए एवं संबंधित तहसीलदार स्वयं उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना करते हुए सभी पक्षकारों के मध्य अपने-अपने कब्जे-काश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा करते हुए तनकीवार गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।


15/9/2025
(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


15/9/2025
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर